

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2018/1877


दिनांक - 15.10.2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 नारणाराम 2 अनाराम 3 रामलाल पिसरान भुराराम जाति जाट निवासी चंदाणियों की ढाणी (बांदरा) तहसील व जिला बाड़मेर।		1 अचलाराम 2 खेताराम पिसरान रूपाराम 3 हनुमानराम 4 राणाराम पिसरान भीखाराम 5 पुनमाराम 6 अर्जनराम पिसरान जेताराम जाति जाट निवासी चंदाणियों की ढाणी बांदरा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-869/2018 दिनांक-12.10.2018

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा चंदाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बांदरा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 811/471 रकबा 40.16 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2018/1878-81

दिनांक- 15.10.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बांदरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. नारणाराम पुत्र भुराराम वगैराह जाति जाट निवासी चंदाणियों की ढाणी (बांदरा) तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी अचलाराम पुत्र रूपाराम वगैराह जाति जाट निवासी चंदाणियों की ढाणी (बांदरा) तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर